International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 17-11-2021, Accepted: 03-12-2021, Published: 18-12-2021
Volume 7, Issue 6, 2021, Page No. 76-78

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा

हेमन्त कुमार
शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय मानिला, अल्मोडा, उत्तराखंड, भारत

सारांश
दुनिया की आबादी का आधा हिस्सा महिलाएं हैं। कहते हैं कि किसी भी सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण संकेत उस देश की महिलाओं की स्थिति से मिलता है। भारत जैसे विशाल देश की अधिकतर जनसंख्या गांवों में निवास करती है। यह सर्वविदित है कि ग्रामीण समाज महिलाओं द्वारा किए गए श्रम पर अधिक निर्भर हैं महिलाएं ग्रामीण समाज की नींव हैं। हमारे देश में गरीबी भी एक विकट समस्या है। गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं पर ही पड़ता है। शिक्षा ही गरीबी के इस दुष्चक्र को तोड़ सकती है। महिला सशक्तिकरण 21वीं सदी का अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। शिक्षा के अभाव में महिलाओं का सशक्तिकरण असंभव है। यदि पुरुष शिक्षित है तो मात्र एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परन्तु यदि एक महिला शिक्षित होती है तो दो परिवार शिक्षित होते हैं।
उत्तराखण्ड की बात करें तो महिलाएं इस राज्य की शान है। राज्य के सृजन में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। वैसे भी हमारे देश में 50 प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं की है इसलिए महिलाओं के उत्थान एवं उनको आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए उनके अधिकारों से अवगत कराया जाना राष्ट्र के हित में अति आवश्यक है।

मूल शब्दः गुणवत्तापूर्ण स्त्री शिक्षा, अंतर्निहित क्षमताएं, आडम्बरी सोच, सशक्त आत्मविश्वास, रूढ़िवादिता, मगरूर पुरुष, स्वावलम्बन आदि।

प्रस्तावना
किसी भी देश की वास्तविक प्रगति को जानने के लिए वहां की महिलाओं की स्थिति का आंकलन अति आवश्यक है। क्योंकि महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा कर कोई भी समाज अपने को विकसित नहीं कर सकता है। किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में महिलाओं की दशा और दिशा को स्पष्ट कर देती है। महिलाओं की समाजिक मान्यता, समुचित शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कुछ पहलुओं की दिशा में प्रयास करके महिला सशक्तिकरण किया जा सकता है। शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पहला और मूलभूत साधन है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब यह माना जाने लगा है कि शिक्षा ही वह उपकरण है, जिससे महिला समाज में अपना सशक्त सम्मान व उपयोगी भूमिका दर्ज कर सकती है। गांव की सरल स्त्री को शिक्षा से उसका शोषण रोकने में मदद मिलेगी। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है, जो कि पहाड़ की महिलाओं के विकास में पथ–प्रदर्शक का कार्य करेगा।
महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना है, जिसके माध्यम से वह स्वयं आत्मनिर्भर बन सके। उत्तराखण्ड में चलाये गये प्रत्येक आन्दोलन में महिलाओं की भागिदारी पहले से ही प्रभावी रही है। स्वतंत्रता आंदोलन में और स्वतंत्रता के बाद उत्तराखण्ड की महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, इनमें तुलसी देवी रावत, भक्ति देवी, भागुली देवी, कुन्ती वर्मा, जानकी देवी प्रमुख हैं। शराब बन्दी हेतु विनय लक्ष्मी सुमन, तारा देवी, गैणौ देवी का नाम प्रमुख है। चिपको आंदोलन में भोटिया जनजाति की महिला गौरा देवी प्रसिद्ध हैं। उत्तराखण्ड की महिलाएं जागरुक रहकर बड़ी कुशलता के साथ सभी दायित्वों को संभाल रही हैं। महिलाओं के विकास की ओर बढ़ते कदम आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुके हैं। उत्तराखण्ड सरकार गांव–जंगल में अपनी पहचान खोई महिलाओं से लेकर आधुनिकता से कदम–ताल मिलाती महिलाओं के साथ है। वह आज उन्हें विकास के सारे मानक देने को तैयार है, जो उन्हे सशक्त बनाने के लिए जरूरी हैं।
आज के इस बदलते परिवेश में महिलायें प्रत्येक क्षेत्र में अपनी योग्यता, गुणवत्ता, शिक्षा और कार्य कुशलता के आधार पर पुरूषों के बराबर कार्य कर रही हैं। यद्यपि ''महिला'' होने के नाते उनकी कई सीमायें हैं फिर भी वे कई मायनों में पुरूषों की अपेक्षा ज्यादा गुण रखती हैं। महिलाओं में धैर्य, सभ्यता, नम्रता और विभिन्न परिस्थितियों में अपने को ढाल कर, घुलमिलकर रहने की सामर्थ पुरूषों की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। भारत के सन्दर्भ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रकृति के इर्द–गिर्द घूमती रहती है। कृषि, पशुपालन, ईधन, चारा–पत्ती इसके आवश्यक अंग हैं। दूसरी तरफ घरेलू तथा खेती अधिकतर कार्य महिलायें ही करती है। खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में पुरुष रोजगार की तलाश में शहरों की ओर प्रवास करते है फलस्वरूप परिवार के सभी कार्यों की जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है।[1]
किसी भी राष्ट्र या समाज के समग्र एवं सन्तुलित विकास के लिए महिला वर्ग का राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ा होना परमावश्यक है। देश की आधी आबादी की पूर्ण सक्रियता एवं सहभागिता ही संबंधित समाज के समूचे विकास की पूर्व शर्त है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए अमेरिकी विद्वान टॉक विल का कथन है कि अमेरिकी महिलाओं की सर्वेपरिता ही अमेरिका लोकतंत्र की सुदृढ़ता एवं समृधि का प्रमुख आधार है।[2] पूर्व काल में महिलाओं की एक कमजोर इकाई मानकर उनका कार्य क्षेत्र घर–गृहस्थी तक की सीमित होकर रह गया था। हमारे देश में महिलाओं का स्थान पुरूषों की अपेक्षा गौड़ होने के कारण भी उनका कार्य क्षेत्र सीमित ही रहा। इस मिथक को टूटने में कि– 'महिलाओं का कार्य सिर्फ घर गृहस्थी सम्भालना है', एक लम्बा समय लगा, परन्तु आज इस दीवार को महिलाओं ने अपनी कार्य क्षमता से गिरा दिया हैं। जिस प्रकार परिवार के सर्वांगीण विकास के लिए महिला एवं पुरूषों दोनों का कार्य करना या आत्मनिर्भर होना आवश्यक है।[3]

महिला सशक्तिकरण का आशय महिलाओं के पारिवारिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, राजनैतिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण तथा शैक्षिक सशक्तिकरण से है। सिंह के अनुसार महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं का पुरूषों के समान वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्ता से है।[4]

महिलायें अवसर प्राप्त कर प्रत्येक क्षेत्र में अपनी योग्यतानुसार सहयोग देने के लिए अग्रसर हुई और उन्होंने भारत में स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय योगदान किया तथा आर्थिक क्षेत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने लगी और यही से शुरू होता है सशक्तिकरण का प्रकरण। 1975 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष आयोजन किया गया। अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के महत्व को समझा जाये। 8 मार्च 1992 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। महिलाओं के विकास के लिए संगठन स्थापित किये गये। विभिन्न कानून बनाये गये। अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष (1975), सार्क बालिका वर्ष (1990) तथा सार्क बालिका दशक (1921–2000) जैसे आयोजन इस दिशा में आई विश्वव्यापी जागृति के सूचक हैं। भारत सरकार के द्वारा महिलाओं की प्रस्थिति समिति के द्वारा प्रस्तुत 'समता की ओर' नामक प्रतिवेदन में नौकरियों में महिलाओं के लिए आयु सीमा व कार्य अवधि में शिथिलता, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, बालिका समृद्धि योजना जैसे विभिन्न उपायों को करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास हो रहे हैं।[5]

महात्मा गांधी ने कहा था– "मैं आपको एक मंत्र देता हूं। जब कभी भी आप अपने कार्यनीति के प्रति संदेह में हों या जब अपनेपन का बोध आपके ऊपर हावी हो जाए तो यह काम करें, ऐसे किसी अत्यंत निर्धन एवं कमजोर व्यक्ति (महिला) का चेहरा याद करें और अपने आप पूछें कि आपने उसके उपकार के लिए क्या किया। क्या इससे उसे कुछ लाभ होगा? क्या इससे उसके जीवन और भाग्य में कोई बदलाव होगा। दूसरे शब्दों में क्या इससे करोड़ों भूखे–प्यासे ग्रामीण लोगों को, भूख से मुक्ति मिलेगी? तभी आप अपने संदेह और स्वाभिमान को दूर हुआ पाएंगे।" आज आवश्यकता महात्मा गांधी के इन्हीं विचारों को साकार करने की। ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण एक लम्बी और कठिन प्रक्रिया है क्योंकि यह वस्तुतः समाज में उनकी हैसियत से जुड़ा मुद्दा है। इसके लिए ग्रामीण समाज के लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाना आवश्यक है।

महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा दो ऐसे विषय हैं, जिन पर समाज के प्रत्येक वर्ग की नजरें गड़ी हैं। हर कोई अपनी–अपनी महानता प्रमाणित करने के लिए महिलाओं की झोली में कुछ न कुछ डालने के प्रयास में लगा है। महिलाओं से जुड़े किसी भी विषय अथवा समस्या पर होने वाले अन्वेषण और योजनाओं की भरमार देखकर ऐसा लगने लगा है जैसे महिलाओं की तरह ही उनकी समस्याएं भी सभी के आकर्षण का केन्द्र हो गई हैं। सभी दयावान हैं और हर दयावान किसी न किसी महिला संबंधित मुद्दे का झंडा फहराता दिखाई दे जाता है। कोई उनकी शिक्षा के प्रति चिन्तित है तो कोई स्वावलम्बन के प्रति। कोई सशक्त होने की शिक्षा दे रहा है तो कोई स्वाभिमान की दीक्षा देने में तत्पर है। और कोई तो उन्हें आरक्षण का कवच पहनाकर महफूज करने की तैयारी में है। सबके अपने–अपने प्रयत्न हैं, परामर्श हैं। जबकि समाज का कोई भी व्यक्ति इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं कि भारत की महिला न तो कभी शिक्षा शब्द से अपरिचित थी और न ही किसी मजबूरी की मोहताज। उनकी शिक्षा और दीक्षा स्वनिर्मित थी। उसने शिक्षा को जीवन की अनिवार्यता की तरह समझा भी है और जिया भी है। शिक्षा उसका मौलिक अधिकार था और सशक्त आत्मविश्वास उसके संस्कारों की मुट्ठी में था। यह तो उनका तथा भारतीय समाज का ही दुर्भाग्य था कि वक्त के छल ने उन्हें आंख मूंद कर अशिक्षा के अंधेरे में मुंह छिपा कर जीने के लिए बाध्य कर दिया जिससे धीरे–धीरे उसकी मजबूरियों ने अपनी पहचान की तरह अपना लिया और अज्ञान के ग्रहण के साथ जीना अपना नसीब मान लिया।

किन्तु उनकी यह मजबूरी समस्या बन कर तब सामने आई जब आधुनिकता की आडम्बरी सोच ने उनकी शैक्षिक अपूर्णता को उन्हीं की कमजोरी और बेचारगी मान लिया और उनकी योग्यताओं, क्षमताओं और प्रतिभाओं को बहुत ही निचले स्तर का प्रमाणित करने का प्रयत्न होने लगा। यह आम धारणा बन गई कि औरत न तो कुछ जानती है, न समझती है और न ही कुछ कर सकती है। उसकी बौद्धिकता की बात आते ही लोग प्रायः कह देते हैं "औरत की बुद्धि तो उसके घुटने में होती है।" औरत को मानसिक स्तर पर तुच्छ प्रमाणित करने वाले शायद यह भूल गए थे कि यही औरत कुदरत का वह करिश्मा है जिसे धरती पर उतारते वक्त ही प्रकृति ने उसके प्रारब्ध के कोरे कागज पर ऐसी–ऐसी खूबियों की इबारत लिख दी है जिसे या तो कोई पढ़ ही नहीं पाता है या फिर उसके आभास मात्र से ही सबकी नजरें चुंधियाने लगती हैं। औरत की इस विशेषता को शायद मगरूर पुरुष के गुरूर ने चुनौती मान लिया और अपने अपराध बोध को छिपाने तथा अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए घर में उसे बंदिनी बना दिया और बाहर दिखाने के लिए महिलाओं के लिए विविध सुविधाओं की मांग कर अपने भीतर की दादागीरी को दयागीरी का मुखौटा पहना उसका रहवर बन गया। अब वह महिलाओं से संबंधित किसी न किसी समस्या को उठाकर अपनी कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण देने लगा। शायद कहीं न कहीं वह समझने लगा था कि अब वक्त आ गया है जब उसे अपना चंगुल ढीला करना पड़ेगा। संभव है कि उसे यह सिद्धान्त भी अहसास दिलाने लगा हो कि अगर परिवार को समृद्ध करना है तो सबसे पहले घर की महिला को उसका गौरव लौटाना होगा, यह अनिवार्य है।

धीरे–धीरे परिवर्तन आने लगा है समाज में लोगों की मानसिकता में बदलाव आ रहा है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहीं हैं। पढ़–लिखकर उच्च पदों पर आसीन हो रही हैं तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। शिक्षा सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वमान्य साधन है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण स्त्री शिक्षा हमारी प्रतिबद्धता एवं प्राथमिकता दोनों ही होनी चाहिए ताकि हम महिलाओं की अंतर्निहित क्षमताओं के अधिकाधिक उपयोग हेतु सक्षम बन सकें और अपने देश की आधी आबादी अर्थात् महिलाओं की पूरी क्षमता का उपयोग कर अपनी प्रगति एवं मजबूती सुनिश्चित कर सकें। यदि हम सभी निकट भविष्य में विकसित भारत का सपना साकार करना चाहते हैं तो हमें महिलाओं की प्रगति की राह में आने वाली सभी बाधाओं को अविलम्ब हटाना होगा।

महिलाओं की शिक्षा में आने वाली अनगिनत बाधाएं हैं जिन्हें अभी भी दूर नहीं किया जा सका है। इनमें निम्निलिखित बाधाएं महत्वपूर्ण हैं जो कि अविलम्ब निराकरण की मांग करती हैं–

- जागरुकता का अभाव।
- रूढ़िवादिता।
- घर से विद्यालय की दूरी तथा असुरक्षा की भावना।
- संसाधनों (शौचालयों, स्वच्छ पीने का पानी एवं स्वास्थ्य, देख–रेख की व्यवस्था, एवं यातायात आदि) का अभाव।
- अध्यापकों की कमी।
- अभिभावकों का शैक्षिक और आर्थिक स्तर में कमी।
- पसंदीदा विषयों का अभाव।
- खेती व अन्य गृह कार्यों में व्यस्तता आदि।
- पंचायती राज व्यवस्था में भागीदारी की कमी।

- रातनीतिक क्षेत्र में हिस्सेदारी एवं दखल में कमी।

शिक्षा में आ रहीं उक्त बाधाओं को दूर किया जाए तभी ग्रामीण महिलाएं शिक्षा और सशक्तिकरण का मार्ग अपना पायेंगी।

संदर्भ सूची

1. पचौरी जे0 पी0 व बाला किरन, ''पर्वतीय महिलाओं में पर्यावरणीय ज्ञानः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन'' राधा कमल मुखर्जी, चिन्तन परम्परा वर्ष 17 अंक 1, जनवरी–जून, 2015 पृष्ठ सं0 5–9।
2. विलियम मैथ्यू, "ग्रांड वूमेन एण्ड माइलेटीः द डेमोक्रेटिक फेमिली इन टॉकविल द रिव्यू पोलिटिकल साइंस विटर", द यूनिवर्सिटि ऑफ नोट्डे इण्डियाना, 1995।
3. चतुर्वेदी अंजना, ''महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास'', राधा कमल मुखर्जी, चिन्तन परम्परा वर्ष 15 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर, 2013 पृष्ठ सं0 39–41।
4. सिंह, रंजनी रंजन, "सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण की वास्तविकताऐं", परिप्रेक्ष्य, न्यूपा, नई दिल्ली, वर्ष 14, अंक 1, 2007, पृष्ठ सं0 33।
5. भाग्यलक्ष्मी, जे0 'महिला अधिकारिताःबहुत कुछ करना शेष', योजना, वर्ष 48, अंक 5, अगस्त 2004 पृष्ठ सं0 26।